



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक : सं.अ.सं.वि./1044/

दिनांक : 30/10/2025

आदेश

विश्वविद्यालय की संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में संचालित बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क अका./2023/553 दिनांक 09.05.2023 निरस्त किया जाता है एवं रेग्युलेशन 18/2008 की कंडिका 12.11 में उल्लेखित प्रावधान 'If the Institute fails to admit less than 25% of the sanctioned seats for a particular course it will be put in the No Admission Category from the next academic session for that course' को विचारोपरांत सत्र जुलाई 2025 से स्थगित किया जाता है।

६२०१
(प्रो.पी.शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव

पृ.क./स.अ.सं./2025/1044/30/10125
प्रतिलिपि -:

1. निज सचिव कुलगुरु, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ ।
2. वेबसाइट प्रभारी की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ ।
3. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(प्रो.पी.शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव